राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

डी.बी.स्पेशल. आवेदन रिट संख्या 414/2024

1. भारत संघ, सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।

2. महानिदेशक, सीआरपीएफ (भर्ती शाखा), ईस्ट ब्लॉक-07, लेवल-4, सेक्टर 01, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।

3. कर्मचारी चयन आयोग, अपने क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के माध्यम से।

4. समीक्षा मेडिकल बोर्ड, च-बीएसएफ जोधपुर, पीओ/सीएमओ (एसजी) कम्पोजिट अस्पताल मंडोर रोड, जोधपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

----अपीलकर्ता

बनाम

संयोगिता पुत्री श्री सुशील कुमार, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 2 चक 3 बग्वाम, बल्लार दंतौर, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर, (राज.).

---प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए: श्री मुकेश राजपुरोहित, उप एसजी।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री एन.आर. बुडानिया।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण

रिपोर्ट योग्य

07/05/2024

सुनवाई हुई।

2. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 28.11.2023 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा प्रतिवादी की याचिका को अनुमति दी गई है, जिसमें प्रतिवादी की उम्मीदवारी को खारिज करने के अपीलकर्ताओं के निर्णय को अवैध घोषित किया गया है।

3. भारत के विद्वान उप महाधिवक्ता ने दिनांक 20.05.2015 को सीएपीएफ और एआर में जीओ और एनजीओ की भर्ती के लिए भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए समान दिशा-निर्देशों के खंड 11 के उप-खंड (3) में निहित प्रावधानों का उल्लेख किया, जिसमें विस्तार से बताया गया कि टैटू के निशान आमतौर पर चिकित्सा अयोग्यता के लक्षण होते हैं, जब तक कि वे शरीर के अनुमेय भाग पर अनुमेय सामग्री और आकार के साथ न पाए जाएं। विद्वान वकील का तर्क होगा कि अनुशासित बल में, चिकित्सा योग्यता का मानक अन्य सेवाओं में आवश्यक चिकित्सा योग्यता से अधिक है, क्योंकि ऐसे मुद्दे अनुशासित बल में प्रदर्शन और कर्तव्यों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार करते समय इस बात की अनदेखी की और यह समझने में विफल रहे कि ऊपर उल्लिखित प्रावधानों की भावना के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दाहिने अग्रभाग के अंदरूनी हिस्से पर किसी भी प्रकार के टैटू या हटाए गए टैटू के निशान से मुक्त होना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि निशान, जिस पर स्थायी छाप है, चिकित्सा अयोग्यता का आधार होगा। कानून के प्रावधानों या बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के किसी उल्लंघन के अभाव में, समीक्षा मेडिकल बोर्ड सहित विशेषज्ञों के निकाय द्वारा लिए गए निर्णय में न्यायालय द्वारा अपने रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड/मेडिकल विशेषज्ञ की

राय के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से राय को प्रतिस्थापित करना कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने श्रीधर महादेव पाखरे बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट याचिका संख्या 10026/2017) के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, विशिष्ट विशेषताओं का भी उचित मूल्यांकन नहीं किया, जिसका निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किया था।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने अग्रिम प्रति पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात पर विचार करने के बाद कि हटाए गए टैटू का निशान, अपने आप में, दिशानिर्देशों के खंड 11 के उप-कारण (3) में निहित अर्हक प्रावधानों के संदर्भ में किसी उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता, याचिका को अनुमति दी।

5. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने और विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित आदेश का अध्ययन करने के बाद, हमें नीचे बताए गए कारणों से विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

6. बेशक, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित करने का एकमात्र आधार यह है कि उसके दाहिने अग्रभाग के अंदरूनी हिस्से पर चोट के निशान थे।

7. दिशा-निर्देशों में निहित प्रासंगिक प्रावधान, जिनका उल्लेख अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी विश्लेषण किया गया है और जो इस मामले में हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं, नीचे पढ़ें:

> 3) टैटू: भारत में उत्कीर्णन/टैटू बनाने की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित है, लेकिन यह केवल नाम या धार्मिक आकृति को

दर्शाने तक ही सीमित है, हमेशा बांह के अंदरूनी हिस्से पर और आमतौर पर बाईं ओर। दूसरी ओर, वर्तमान युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में है और इस प्रकार त्वचा कला वाले संभावित रंगरूटों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गई है, जो न केवल अप्रिय है बल्कि बल में अच्छे आदेश और अनुशासन को भी बाधित करती है। टैटू की अनुमति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए:

ख) विषय-वस्तु-एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इसलिए धार्मिक प्रतीक या आकृति और नाम को दर्शाने वाले टैटू, जैसा कि भारतीय सेना में होता है, की अनुमति दी जानी चाहिए।

क) स्थान- शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे बांह के अंदरूनी हिस्से पर टैटू बनाए जा सकते हैं, लेकिन केवल बाईं बांह पर, जो सलामी देने वाला अंग नहीं है या हाथ का पिछला भाग है।
ख) आकार- आकार शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के ¼ से कम होना चाहिए।

8. उपर्युक्त प्रावधान का अवलोकन करने पर ही पता चल जाएगा कि उम्मीदवार की अयोग्यता का आधार टैटू का निशान होना हो सकता है। जिस पृष्ठभूमि में टैटू के निशान को चिकित्सा अयोग्यता का आधार माना गया है, उसे प्रावधानों के पहले भाग में बताया गया है। कहा गया है कि इस तरह के टैटू के निशान न केवल अप्रिय होते हैं, बल्कि बल में अनुशासन और व्यवस्था को भी बिगाड़ते हैं। हालांकि, टैटू के निशान होने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं

है। प्रावधानों में अपवाद दिया गया है कि टैटू के निशान होने के बावजूद उम्मीदवार को चिकित्सा अयोग्य नहीं माना जाएगा।

9. सबसे पहले, धार्मिक प्रतीक या आकृति और नाम को दर्शाने वाले टैटू की अनुमति दी जानी चाहिए। सीआरपीएफ में इसकी अनुमति भारतीय सेना में अपनाई गई प्रथा के अनुरूप दी जा रही है। इस तथ्य को प्रावधानों में ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस प्रकार टैटू के निशान होने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

10. दूसरे, अन्य प्रावधान स्थान और आकार से संबंधित हैं, जो उम्मीदवार को चिकित्सा अयोग्य बना सकते हैं। शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे अग्रबाहु के अंदरूनी भाग पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाएं अग्रबाहु, जो सलामी देने वाला अंग नहीं है या हाथों का पृष्ठ भाग है, अनुमेय है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इसका आकार शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के 1/4 से कम होना चाहिए। इसलिए, टैटू अंकित करना केवल कुछ स्थितियों में ही चिकित्सा अयोग्यता का आधार है। अन्य सभी मामलों में, यह उम्मीदवार को चिकित्सा अयोग्य घोषित करने का आधार नहीं है।

11. इस प्रकार हम पाते हैं कि टैटू का होना ही चिकित्सा योग्य होने के आधार पर अयोग्यता नहीं है, बल्कि शरीर का आकार और वह स्थान जहाँ इसे अंकित किया गया है, यह तय करने के लिए प्रासंगिक है कि यह चिकित्सा अयोग्यता का मामला है या नहीं। किसी भी मामले में यदि टैटू का निशान पहले ही हटा दिया गया है और पीछे निशान रह गया है, तो हमारी राय में, यह अयोग्यता खंड के दायरे में नहीं आएगा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। केवल इसलिए कि निशान दाहिनी बांह के अंदरूनी हिस्से पर है, उसे अपने आप में चिकित्सा अयोग्यता का मामला नहीं माना जा सकता, क्योंकि निशान का होना चिकित्सा अयोग्यता का आधार नहीं है। दूसरे शब्दों

में, हटाए गए टैटू के निशान और किसी अन्य कारण जैसे चोट आदि के निशान को अलग-अलग नहीं माना जा सकता। केवल दाहिनी बांह के अंदरूनी हिस्से पर निशान होने के आधार पर चिकित्सा अयोग्यता का कोई आधार न होने की स्थिति में, हटाए गए टैटू के निशान के आधार पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराना, शत्रुतापूर्ण भेदभाव होगा क्योंकि वर्गीकरण किसी भी तर्कसंगत एकीकरण पर आधारित नहीं है और ऐसा भेदभाव इसे असंवैधानिक बना देगा क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

12. इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बताए गए कारणों और हमारे द्वारा बताए गए अतिरिक्त कारणों के आधार पर, हमारा यह मानना है कि चिकित्सा अयोग्यता के आधार पर प्रतिवादी की उम्मीदवारी को खारिज करने में अपीलकर्ताओं की कार्रवाई मनमानी के दोष से ग्रस्त है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आपत्तिजनक आदेश द्वारा इसे सही रूप से खारिज कर दिया गया है।

13. अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(मुन्नूरी लक्ष्मण), जे **(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे**

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।